न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ, (राज.)

पीठासीन अधिकारी - **सरफराज नवाज, आर.जे.एस.**

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या - 176/2019

सी०आई०एस० नंबर - 176/2019

सी०एन०आर० नंबर - RJPG09-000391-2019

अपराध अंतर्गत : धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

PART - I

	A
परिवादी	सैयद मोहम्मद फारूख पिता सैयद ताज मोहम्मद निवासी पठानों का मोहल्ला, धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान ..... अभियोगी
परिवादी की ओर से	श्री हरीसिंह कोठारी, विद्वान अधिवक्ता परिवादी
बनाम	
अभियुक्त	जितेन्द्र गर्ग पिता कालु गर्ग निवासी मोरमाता ग्राम पंचायत केसरीयावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान -----अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरीश मेघवाल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

B

अपराध की तिथी	--
परिवाद की तिथी	**02.01.2019**
परिवाद पत्र पेश होने की तिथी	**02.01.2019**
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथी	**08.10.2025**
परिवादी साक्ष्य पूर्ण होने की तिथी	**16.12.2025**
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथी	**10.03.2026**
निर्णय की तिथी	**10.03.2026**
सजा सुनाए जाने की तिथी	**10.03.2026**

C

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथी	जमानत पर छोडे जाने की तिथी	आरोपित आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 सीआरपीसी
1	जितेन्द्र गर्ग	04.08.2025	04.08.2025	138 एन.आई.एक्ट	दोषसिद्धि	06 माह का साधारण कारावास एवं 1,90,000/-रूपये प्रतिकर, अदम अदायगी 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास	---

PART - II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

परिवादी साक्षियों की सूची

क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
P.W.-1	मोहम्मद फारूख	परिवादी

बचाव साक्षी

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

न्यायालय साक्षी

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

परिवादी की ओर से प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	असल चैक
2	प्रदर्श पी 2	चैक अनादरण मेमो
3	प्रदर्श पी 3	विधिक नोटिस
4	प्रदर्श पी 4	पोस्टल रसीद
5	प्रदर्श पी 5	मूल नोटिस रिटर्न लिफाफा
6	प्रदर्श पी 6	परिवाद

बचाव प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	-	-

न्यायालय प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण

-	-	-

सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
-	-	-	-

निर्णय

दिनांक 10.03.2026

1- अभियुक्त पर परिवादी से उधार ली रकम की अदायगी के लिए परिवादी को एक चैक नम्बर 770862 राशि 1,40,000/-रूपये का दिनांक 12.11.2018 का देने व उक्त चैक के अनादरित हो जाने पर परिवादी द्वारा उक्त राशि की अदायगी हेतु भेजे गए मांग सूचना-पत्र प्राप्त होने के बाद भी भुगतान न कर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतस्मिन पश्चात् 1881 के अधिनियम से संबोधित) की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का अभियोग है।

2- परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सैयद मोहम्मद फारूख ने परिवाद प्रदर्श पी-06 न्यायालय में इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने परिवादी से 1,40,000/-रूपये उधार लिये जिसके भुगतान के बदले एकचैक एस.बी.आई. बैंक शाखा धरियावद का खाता संख्या 37875768610 का चैक क्रमांक 770862 राशि 1,40,000/-रूपये का दिनांक 12.11.2018 का परिवादी के समक्ष हस्ताक्षर कर दिया एवं पूर्ण विश्वास दिलाया कि चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर चैक् राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। परिवादी ने उक्त चैक को भुगतान हेतु उसके बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धरियावद में अपने खाते में भुगतान हेतु दिनांक 12.11.2018 को पेश किया, जहां से उक्त चैक को अनादरित कर चैक वापसी ज्ञापन पर कारण संख्या-1 फण्डस इनसफिसियेन्ट के पृष्ठांकन के साथ उक्त चैक व चैक वापसी ज्ञापन दिनांक 14.11.2018 को परिवादी को अनादरित कर लौटा दिया। चैक् अनादरित होने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस बाबत चैक अनादरण दिनांक 04.12.2018 को भिजवाया गया जो अभियुक्त के पते पर "पाने वाला लम्बे समय से गांव में नहीं रहता है' के पृष्ठांकन के साथ मूल नोटिस रिटर्न हो गया। नोटिस रिटर्न होने पर भी अभियुक्त द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही उक्त चैक राशि अदा की। अंत में परिवादी ने उक्त चैक राशि मय क्षतिपूर्ति के दिलाये जाने का निवेदन किया।

3- अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को अभियुक्त के विरूद्ध 1881 के पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया।

4- अभियुक्त को अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की विशिष्टयां लिखित में सुनाई व समझाई गई, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में कथन किया कि उसने परिवादी से 10,000/-रूपये उधार लिये थे जिसके सिक्युरिटी पेटे चैक दिया था जो राशि उसने परिवादी को जमा करा दी। परिवादी ने उसके सिक्युरिटी पेटे पडे चैक में गलत राशि भरकर दुरूपयोग किया है। अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5- तदन्तर परिवादी मोहम्मद फारूख द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को (परि. सा. 01) के रूप में परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत पी-6 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

6- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए परीक्षण में अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसने परिवादी से दस हजार रूपये उधार लिये थे जिसके सिक्युरिटी पेटे चैक दिया था जो राशि उसने परिवादी को अदा कर दी। परिवादी ने उसके सिक्युरिटी पेटे पडे चैक में गलत राशि भरकर दुरूपयोग किया है, वह निर्दोष है एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहा परंतु पर्याप्त व समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

7- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि परिवादी पक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि परिवादी ने उसके सिक्योरिटी पेटे दिये चैक का दुरूपयोग कर चैक उसके विरूद्ध लगा दिया। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8- प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु हैः-

1- क्या अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक नम्बर 770862 राशि 1,40,000/-रूपये का दिनांक 12.11.2018 का प्रदत्त किया?

2- क्या अभियुक्त ने परिवादी को उक्त चैक किसी वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया था?

3- क्या उक्त चैक को अभियुक्त के बैंक खाते में विहित समयावधि में पेश किए जाने के उपरांत बैंक द्वारा <u>अपर्याप्त राशि</u> होने के आधार पर अनादरित कर दिया गया?

4- क्या उक्त चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त राशि अदा करने हेतु लिखित सूचना पत्र प्रेषित किया था?

5- क्या उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत राशि अदा नहीं की है?

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

9- **<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के संबंध में:-</u>**

सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में परिवादी मोहम्मद फारूख (परि. सा. 01) ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि अभियुक्त ने उससे उधार लिये रूपयों के भुगतान के बदले एक चैक एस.बी.आई. बैंक शाखा धरियावद का खाता संख्या 37875768610 का चैक क्रमांक 770862 राशि 1,40,000/-रूपये का दिनांक 12.11.2018 का उसके समक्ष हस्ताक्षर कर दिया एवं पूर्ण विश्वास दिलाया कि चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने परचैक राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उसने उक्त चैक को भुगतान हेतु उसके बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धरियावद में अपवने खाते में भुगतान हेतु दिनांक 12.11.2018 को पेश किया जिसे बैंक द्वारा उक्त चैक को समाशोधन हेतु एसबी.आई. बैंक शाखा धरियावद भेजा गया जहां से उक्त चैक को अनादरित कर चैक वापसी ज्ञापन पर कारण संख्या-1 फण्डस इनसफिसियेन्ट के पृष्ठांकन के साथ उक्त चैक व चैक वापसी ज्ञापन दिनांक 14.11.2018 को उसे अनादरित कर लौटा दिया गया। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी की ओर से चैक प्रदर्श पी-1 व चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी-2 न्यायालय में प्रस्तुत किये।

10- **1881 के अधिनियम की धारा 118 (g) चैक के धारक के पक्ष में सम्यक् अनुक्रम धारक होने की उपधारणा करने का प्रावधान रखती है, जिसके अनुसार:-** "That holder is a holder in due course: that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been conbtained from its lawful owner, or from any person in

lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him"

11- **साथ ही चैक के धारक के संबंध में 1881 के अधिनियम की धारा 139 यह उपधारणा करती है कि** "Presumtion in favour of holder- Is shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in sec. 138 for the discharge, in whole or in part, or any debt or other liability"

12- इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत Rangappa Vs Sri Mohan(2010) 11 SCC 411 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय हैः- "The presumption under section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 includes the presumtion of the existence of cca legally enforceable debt or liablility. That presemption is required to be honoured, and if it is not so done, the entire basis of making these provisions will be lost Therefor, is has been held that it is for the accused to explain his case and defend it once the fact of cheque bouncing is prima facie estblished. The burdon is on him to disprove the allegation once a prime facie case is mode out by the complainant."

13- हस्तगत मामले में परिवादी ने उक्त उपधारणा करने हेतु आवश्यक तथ्य अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में समाहित किए हैं इसलिए परिवादी द्वारा वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किए जाने की उपधारणा की जाती है। यह उपधारणा खंडनीय है, इसलिए अभियुक्त के द्वारा लिए गए बचाव पर विचार किया जाना है।

14- बचाव पक्ष द्वारा परिवादी साक्षी से की गई प्रतिपरीक्षा में एवं बहस के दौरान जो तर्क लिये, उसके सम्बन्ध में न्यायालय का मत बिन्दुवार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। बचाव पक्ष का प्रथम तर्क यह रहा कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से वर्ष 2015 में 10 हजार रूपये उधार लिये गये थे जिसके पेटे प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया, उक्त 10 हजार रूपये मय ब्याज अभियुक्त द्वारा परिवादी को लौटा दिये गये बावजूद इसके अभियुक्त के खाली पडे चैक का परिवादी ने दुरूपयोग कर हस्तगत प्रकरण दर्ज करवाया गया। इस संबंध में परिवादी साक्षी पी.ड-1 मोहम्मद फारूख

की साक्ष्य को देखें तो उसने मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र में अभियुक्त को 1,40,000/-रूपये नकद उधार देना और उसके भुगतान के पेटे प्रश्नगत चैक प्राप्त करना बताया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उसने इन सुझावों को गलत बताया कि अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में उससे 10 हजार रूपये उधार लिये हो, 10 हजार रूपये के एवज में प्रश्नगत चैक खाली दिया हो, 10 हजार रूपये के एवज उसने ब्याज सहित 15 हजार रूपये प्राप्त कर लिये हो। इस प्रकार परिवादी साक्षी ने बचाव पक्ष के उक्त तर्कों के संबंध में पूछे गये सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से गलत होना बताया। बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। बचावपक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नही किया गया कि यदि वर्ष 2015 में उनके द्वारा 10 हजार रूपये उधार लेकर प्रश्नगत चैक परिवादी को प्रदत्त किया था तो हस्तगत प्रकरण दर्ज होने से पूर्व इतनी दीर्घ अवधि तक उनके द्वारा प्रश्नगत चैक परिवादी से क्यों प्राप्त नहीं किया गया। बचाव पक्ष द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित खाली चैक क्यों व किन परिस्थितियों में परिवादी को प्रदत्त किया गया। यदि उनके द्वारा ब्याज सहित कोई राशि परिवादी को प्रदत्त की गयी तो उसके संबंध में कोई प्राप्ति रसीद उनके द्वारा क्यों प्राप्त नहीं की गयी, यदि प्राप्त की गयी तो उसे न्यायालय के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी दशा में परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले बचावपक्ष का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

15- बचावपक्ष का दूसरा तर्क परिवादी साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में उसकी आय को लेकर रहा जिसके संबंध में परिवादी साक्षी पी.ड-1 मोहम्मद फारूख ने कथन किये कि उसके द्वारा इस न्यायालय में 8-10 प्रकरण चैक से संबंधित कर रखे है जिनकी कुलिया वास्तविक राशि तो वह नहीं बता सकता लेकिन 25 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि के होगें। इसके अतिरिक्त उसने कथन किया कि वह एन.आर.आई. रहा और अपने भुआ के लडके के साथ गाडी का व्यवसाय करता है। साल 2011-12 से वह भारत में ही निवास कर रहा है, उसके पश्चात कभी विदेश नहीं गया। वर्ष 2003-04 में प्रथम बार विदेश गया था। एक माह में 3-4 गाडियां बिक जाती है, सीजन में 8-10 गाडियां बिक जाती है जिनसे प्रति गाडी डेढ लाख रूपये तक का मुनाफा मिलता है। उसके व उसके भुआ के लडके के मध्य मुनाफे का हिसाब-किताब रहता है जो उसने पत्रावली में पेश नहीं किया। उसने अपने कुवैत में रहने के दौरान अर्जित की गयी आय का भी कोई हिसाब-किताब पत्रावली में पेश नहीं किया। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि परिवादी साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान विस्तृत रूप से अपने व्यापार संबंधी एवं विदेश में रहने के दौरान आय होने संबंधी कथन किये है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित राशि 1,40,000/-रूपये है जो इतनी अत्यधिक राशि प्रकट नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देने का सामर्थ्य नहीं रखता हो। बचाव पक्ष द्वारा परिवादी की आय का खण्डन् करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। ऐसी दशा में बचावपक्ष

का उक्त तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

16- बचाव पक्ष का तीसरा तर्क यह रहा कि हस्तगत प्रकरण में चैक पर वर्णित दिनांक 12.11.2018 है जबकि अभियुक्त जनवरी 2016 से ही कभी धरियावद में नहीं आया। इस संबंध में परिवादी साक्षी पी.ड-1 मोहम्मद फारूख से की गयी प्रतिपरीक्षा को देखें तो उसके द्वारा उक्त तर्क को गलत होना बताया। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि बचावपक्ष ने अपने उक्त तर्क के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जिससे इस बात पर पूर्ण सन्देह किया जा सके कि अभियुक्त एवं परिवादी चैक की दिनांक या उससे पूर्व नहीं मिले हो या उनके मध्य कोई संव्यवहार नहीं हुआ हो या संव्यवहार होना संभव नहीं हो। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी उक्त परिस्थितियों में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

17- उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह साबित होता है कि परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में उपधारणा किए जाने के पर्याप्त आधार इस न्यायालय में प्रस्तुत किए है, जबकि अभियुक्त उक्त उपधारणा को खंडित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विचारणीय बिंदु 1 व 2 परिवादी के पक्ष में साबित होते है।

18- **<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक 3 के संबंध मेंः-</u>**

इस संबंध में परिवादी मोहम्मद फारूख (परि. सा. 01) का कथन है कि उसने अभियुक्त के कथनों पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु अपने बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धरियावद में पेश किया, जहां से उक्त चैक मय चैक वापसी ज्ञापन पर कारण <u>अपर्याप्त राशि</u> का पृष्ठाकंन कर लौटा दिया। इस प्रकार उसे चैक की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि अभियुक्त के **बैंक** खाते के खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा मूल चैक प्रदर्श पी-1 एवं अनादरण मैमो प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत किये गये।

19- **1881 के अधिनियम की धारा 146 बैंक ज्ञापन के संबंध में यह उपधारणा करती है कि -** "The court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and untill such fact is disproved."

20- अभियुक्त ने ऐसा कोई बचाव नहीं लिया है कि उसके खाते में चैक अनादरण के समय पर्याप्त राशि हो और चैक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हो। अभियुक्त की ओर से धारा 146 की उक्त उपधारणा के खंडन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया

है। इस कारण उपधारणा खंडित न होने से यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि चैक प्रदर्श पी-1 अभियुक्त के हस्ताक्षर बैंक खाते पर्याप्त राशि न होने के कारण अनादरित हो गया था। अतः उपरोक्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

21- **<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक 4 व 5 के संबंध मेंः-</u>**

परिवादी मोहम्मद फारूख (परि. सा. 01) के अनुसार चैक बिना भुगतान के वापस आने की सूचना बैंक द्वारा उसे दिनांक 14.11.2018 को दी गई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस बाबत चैक अनादरण अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर दिनांक 04.12.2018 को भेजा जो अभियुक्त के पते से ''पाने वाला लम्बे समय से गांव में नहीं रहता है'' के पृष्ठांकन के साथ मूल नोटिस रिटर्न हो गया। बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया। रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श पी-3, डाक रसीद प्रदर्श पी-4 व मूल नोटिस का लिफाफा प्रदर्श पी-5 परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

22- अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड नकल नोटिस प्रदर्श पी-3, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-4 व मूल लिफाफा प्रदर्श पी-5 के परिशीलन करने से प्रकट होता है कि उक्त नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त के ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया जो अभियुक्त के घर पर नहीं मिलने के कारण वापस लौटा। इस प्रकार परिवादी द्वारा विहित समयावधि में विधिक नोटिस अभियुक्त के ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं रही है कि नोटिस प्रदर्श पी-3 व लिफाफा प्रदर्श पी-5 पर अंकित पता उसका नहीं हो। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि नोटिस पर अंकित पता, परिवाद में अंकित पता जिस पर न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका की तामील हुई, एक समान है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के ज्ञात पते पर नोटिस प्रेषित किया गया था। यदि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, तो भी अभियुक्त न्यायालय मे प्रथम उपस्थिति के पश्चात परिवादी से मिलकर चैक के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर सकता था, परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही अभियुक्त की ओर से की गई हो, ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि नोटिस विहित समयावधि में अभियुक्त को प्राप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 4 परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

23- परिवादी द्वारा अपने शपथ-पत्र में यह भी कथन किया है कि परिवादी द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श पी-3 की जानकारी अभियुक्त को हो गयी थी जिसका कोई खण्डन बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं हुई कि सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत राशि अदा की हो। ऐसी स्थिति में उक्त विचारणीय बिंदु क्रमांक 4 व 5 भी परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

24- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचारणीय बिन्दु संख्या-1 लगायत 5 परिवादी के पक्ष में साबित होते हैं।

//आदेश//

25- अतः अभियुक्त **जितेन्द्र गर्ग** को ऋण के उन्मोचन हेतु 1,40,000/- रुपये का एक चैक देकर, उक्त राशि के चैक का **अपर्याप्त राशि** के आधार पर अनादरण हो जाने पर, परिवादी द्वारा मांग सूचना पत्र भेजे जाने के बाद भी परिवादी को भुगतान नहीं किए जाने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

26- वर्तमान में चैक अनादरण के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

27- दंड के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। आरोपित अपराध अधिकतम दो वर्ष के कारावास से दंडनीय है तथा समन प्रक्रिया द्वारा विचारणीय है। अधिवक्ता परिवादी द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण सन् 2018 में प्रदान किए गए चैक के अनादरण से संबंधित है अर्थात् संव्यवहार हुए करीब 7 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में सामान्य निवेश से भी संव्यवहार की राशि में सारवान वृद्धि हो जाती।

//<u>दण्डादेश</u>//

28- परिणामस्वरूप आरोपित अपराध की प्रकृति, विचारण में लगे समय, प्रकरण की परिस्थितियों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 के द्वारा दर्शाए मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **जितेन्द्र गर्ग पिता कालु गर्ग निवासी मोरमाता ग्राम पंचायत केसरीयावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान** को

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धी पर **06 माह के साधारण कारावास** से दंडित किया जाता है एवं **1,90,000/-रुपये अक्षरे एक लाख नव्वे हजार रूपये** अभियुक्त परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अनुसार अदा करेगा। प्रतिकर अदा करने के व्यतीक्रम में अभियुक्त को **15 दिवस का साधारण कारावास** पृथक् से भुगताया जाए। प्रतिकर की राशि जमा होने पर, अपील अवधि पश्चात्/अपील न होने पर परिवादी को भुगतान की जावे और अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

29- अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

30- अभियुक्त के जांच एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता पृथक् से बनाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रकरण में व्यतीत पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल सजा की अवधि में समायोजित किया जावे।

(सरफराज नवाज)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धरियावद जिला प्रतापगढ़

31- उक्त निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(सरफराज नवाज)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धरियावद जिला प्रतापगढ़

DEEPAK KUMAR GUPTA
Digitally signed by DEEPAK KUMAR GUPTA
Date: 2026.03.11 17:47:52 +0530